

Sl.No:

0612-2323997



TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PVT. LTD.

website : www.vastuvihar.org CIN No.: U45200BR2002PTC9767 email : info@vastuvihar.org

Ref.: TBCPL/HR/17-18/258

Date:/...../.....
Sept.12, 2017

To Whomsoever It May Concern


This is to certify that **Mr. Jitendra Kumar Singh**, S/o Shri Inder Deo Singh, is working with us as a "**General Manager**" from 22nd June, 2006 to till the date...

During his tenure with us, he handled major responsibilities and we found him hardworking and very productive.

We wish him all the success in the future.

Thanking You.

For Technoculture Building Centre Pvt.Ltd





AFFIDAVIT

I, Sri. VINAY KUMAR TIWARY, M.D., M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd., having office at Room No-518/519, 5th floor, Asiana Trade Centre, Adityapur, Distt.- Seraikela Kharswan, do hereby solemnly affirm and declare follows:-

1. That we are the Directors and authorized persons of M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd. having our office situated at- Room No-518/519, 5th floor, Asiana Trade Centre, Adityapur, Distt.- Seraikela Kharswan,.
2. That our company has movable and immovable properties worth about more than Rs. 50,00,000/- (Rupees Fifty lakhs).
3. That I swear this Affidavit to confirm the above facts and submit before the authority concerned .

VERIFICATION

Identified by -

Sri D. Sarkar,

Advocate, Jamshedpur

The statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and I sign on this today at Jamshedpur.

PRAMOD KR. BHAGAT
23/5/18
PRAMOD KUMAR BHAGAT
NOTARY PUBLIC
East Singhbhum, Reg. No. 2842 (J)
Govt. of Jharkhand, JSR. (INDIA)

Vinay Kumar Tiwary

DEPONENT

Identified by me

D. Sarkar
ADVOCATE

23.5.18.





Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajeev Prasad

[Signature]

[Signature] (witness)

A 679039

Signed / Put L.T.I.
In my presence

[Signature]

Advocate
Date: 24.6.11

DEVELOPMENT AGREEMENT

THIS DEED OF DEVELOPMENT AGREEMENT is made on this 24th day of June 2011 at Adityapur: BETWEEN
Mr Ramesh Kumar Prasad 2.) Kumar Rajeev Prasad , Both sons of Late Raghunath Prasad, by faith Hindu, by Nationality Indian, by occupation Service , resident of Road No. -6 Qr. No. 21, Firm Area Kadma, within P.O. & P.S. Kadma, Town Jamshedpur, District East Singhbhum, hereinafter called the **FIRST PARTY LAND OWNER** (which expression shall unless, excluded by or repugnant to the context, or the meaning thereto mean and include his heirs, successors, executors, legal representatives and assigns) of One Part;



Ramesh Kumar Prasad.

Kumar Rajiv Prasad

[Signature]

:2:

AND

Signed / Put L.T.I.
In my presence

Advocate

Date:.....

M/S Technoculture Building Centre Private Limited. A Private Limited Company. a Company incorporated under Indian Companies Act, 1956, having its Office at 518, 519 Ashiana Trade Centre Adityapur -1, represented by its Executive Director Mr. V.V.R.Ram Prasad S/o Sri V. Kali Prasad, resident by its B-1/8 Jai Brabha Complex, Kadma, Jamshedpur hereinafter called the **SECOND PARTY/DEVELOPER** (which expression shall unless, excluded by or repugnant to the context, or the meaning thereto mean and include its heirs, successors, successors-in-office, administrators, legal representatives and assigns) of the Second Part ;

Witnesseth as follows:-

Whereas the First Party is the owner of homestead land and everything standing thereon measuring area 0-78-80 Ha. in Plot No 1771, 1772, 1675 & 1816 Khata No185, situated at Mouza KULUPTANGA, Thana No. 130, ward 17, P.S RIT Adityapur, District Seraikella, which they inherited being the legal heirs of Late Raghunath Prasad who is the recorded owner of the schedule below lands and they have been in peaceful physical possession over the same without any interruption from any corner; And It is further represented and declared by the Owner::



Ramesh Kumar Dasgupta

Kumar Rajiv Dasgupta

[Signature]
:3:

Signed / Put L.T.I.
In my presence

[Signature]

Advocate

Date: 24-01-11

- i) That the said property is under their possession with absolute right, title and interest free from all encumbrances, to transfer and convey the whole or part of the said property having a fully marketable title thereby.
- ii) That the Owners has not created any encumbrances on the said property or any part thereof by way of sale, mortgage, exchange lease, trust, assignment, rights, gifts, liens, leave and license, permission, rent, possession, charges, inheritance or any other encumbrances whatsoever.
- iii) That no notice or notification for acquisition/requisition under any of the statutes of the past or presently in force, have been received, saved or passed by the Income Tax Department or any other Government Authorities for acquisition or requisition of the said property or any part thereof.
- iv) That there are no attachments, either before or after judgment and there are no claims, demands, suits, decrees, injunctions, orders lispences, notices, petitions, or adjunctions orders affecting the said property or any part thereof.



Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajiv Prasad

[Signature]

:4:

Signed / Put L.T.I.
In my presence

[Signature]

Advocate

Date:.....

- v) That apart from the owners, no one else is entitled to or has any share, right, title, or interest over and in respect of the said property or any part thereof.
- vi) That the owner has not entered in the past into any Agreement for Sale or Development of the said property or any part thereof nor has made any arrangement with anyone whatsoever regarding the said property or any part thereof.

And whereas, the Owner is interested in getting Multi Storied Building consisting of Basement, ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, and / or any upper floors as sanctioned by the concerned authorities, on the land with structure measuring 0-66-30 Ha, in Plot No.1772,1675 & 1816, Khata No.185, situated at Mouza KULUPTANGA, Thana No-130, ward 17, P.S. RIT Adiyuar, District Seraiklla, AND

Whereas, the owner/first party is desirous of getting a duplex measuring 1200 sft and Rs. 64,55,000=00, (Rupees Sixty four lakh fifty five thousand only) as share in the built-up-area of the multistoried building consisting duplexes, flats, shops, office etc. from the Developer; And



Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajiv Prasad

:5: *[Signature]*

Signed / Put L.T.I.
in my presence
[Signature]

Advocate
R.H.G.N.
Date:.....

Whereas, the Developer/second party has come to know the desire of the owner/first party and after verification all the relevant papers including title deeds, mutation, rent receipts etc. and offered to develop Multi Storied Building over the said land more particularly described in the schedule below ; A n d

Whereas, as a result of the negotiations between the parties hereto and on the representation and declaration made by the as herein recorded an Agreement for Development of the said property by the aforesaid Developer has been arrived at between the parties hereto upon terms and conditions hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESSETH AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

- 1) The Owner hereby appoint the aforesaid Developer as the Developer of the said property and grant to the Developer who hereby accept from the owner, right to develop the said property in



Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajiv Prasad

:6:

[Signature]

Signed / Put L.T.I.
In my presence

Advocate
R.H. B. H.
Date:.....

the schedule hereunder written in the manner and on the terms, conditions, and stipulations hereinafter mentioned.

- 2) Immediately after the execution of this Development Agreement the Developer shall proceed expeditiously with preparation of the plans and drawings for the said shop-cum-residential multistoreyed building.
- 3) The owner shall have no objection if the aforesaid Multistoried building plans is submitted to the Adityapur Notified Area Committee in the name of owner or any other permission, approval is obtained in his name and agree to sign all such papers that may be deemed necessary by the Developer for the same. However all fees, costs, charges and expenses relating to such approvals/sanctions, shall be borne by the Developer.
- 4) The contents agree to sell, convey, transfer and / or assign to the Developer and/or its nominees, the said property is free from encumbrances, attachments and on the terms and conditions mentioned hereinafter.
- 5) That Developer agrees to construct at its own cost and will part with the agreed consideration settlement to the first party within 2 years of getting approvals from the concerned authorities.



Ramesh Kumar
for asad.

Kumar Raju Shrestha

:7:

Handwritten signature

Signed / Put L.T.I.
in my presence
Advocate
Date: 24.6.11

- 6) The owner shall at no time demand further sum or premium or any interest in any dealing regarding sale of Developer Area and the owner shall execute all such deeds and documents as may be required by the Developer in this regard.
- 7) This agreement shall not ever be deemed to constitute a Partnership of any sort between the parties hereto.
- 8) The Owner hereby and from the date of execution of this Agreement put the Developer in actual peaceful possession of the said property more fully described in the schedule herein to enable the Developer to take up, proceed with the Development Planning, and construction of the said Shop-cum-Residential Multi Storied Building in terms of this Agreement.
- 9) The Owner hereby irrevocably undertakes not to sell, dispose off, alienate, charge, encumber, lease or otherwise transfer the said property or any part thereof during the currency of this Agreement and undertake not to do any act, deeds matter or things as shall be in breach of the terms of this Agreement save and except putting the Developer in possession thereof for the purpose of Development pursuant to this Agreement. The owner shall at no point of time during the currency of this Agreement try to dispossess the Developer from the said property.



Ramesh Kumar
Prasad

Kumar Rajiv Prasad

:8:

[Signature]

Signed / Put L.T.I.
In my presence
[Signature]
Advocate
[Signature]
Date:.....

- 10) The Developer shall develop the said property at its own name and account and its own cost and shall alone be responsible for the development of the said property and neither the owners nor any persons claiming through the owners shall have not have any right or interest in the Development of the said property.
- 11) That As after the date hereof the Developer shall be deemed to be in possession of the said property and shall be free to do all acts, deeds and things required for development and construction of the said Building at the Developer's own cost and expenses within two and half years from the date of execution of this agreement without fail.
- 12) The Developer shall be entitled to develop the said property by constructing thereon multi-storied building according to approval of Building Plan granted by Adityapur Notified Area Committee and any other laws are time being in force by the State Govt. or local authorities.
- 13) The Developer shall be entitled to enter into Agreement for Sale or otherwise allot shops/flats/offices/parking spaces and other tenants whenever required by the Developer, the owners will join as confirm party in all such agreements, sale deeds, deeds of allotment etc. that the Developer may enter into and shall exclusively be entitled to realize all amount receivable under such agreement, sale deeds, deeds of allotment etc. and



Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajiv Prasad

Prasad

: 9 :

Signed / Put L.T.I.
In my presence

Advocate

Date:.....

the Owner shall also be entitled to sell, lease, gift his share of property to the Purchaser or any other person or persons as the Owner thinks fit and proper for such if requires the Builder/Developer, may join as a party in the conveyance deed for the purpose of transferring better title to the purchaser or purchasers.

- 14) The **Owner** agrees and undertakes that he shall execute and give **General Power of Attorney in favour of the Developer**/and/or its nominee or nominees so that no hindrance of obstruction is caused to the Developer in carrying out and discharging its obligations under these presents to have and enjoy peaceful possession of the said property and to do all such acts and/or things that may be necessary for the development planning, construction of the said Multi Storied Building and **sale of the Developer Area as well as the owner Area**. It is however expressly agreed and understood between the parties that the aforesaid General Power of Attorney shall be governed by the provisions of this Development Agreement the provisions of the later shall prevail.



Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajiv Prasad

: 10 :

[Signature]

Signed / But L.T.I.
in my presence
[Signature]

Advocate
R.H.S.M.
Date:.....

15) THE DEVELOPER FURTHER UNDERTAKE

i) To indemnify the Developer and always keep them indemnified and harmless in respect of all claims, damages, compensations or expenses payable in consequences of any injury or accident sustained by any workman artisan or invitees or other persons in the property whether in the employment of the Developer or not while in or upon the said property and during the period of construction of the said colony thereon.

16) THE OWNER FURTHER UNDERTAKES AND DECLARES THAT :-

The Developer shall have the right to create **equitable or otherwise** any legal mortgage on the said property including construction thereon, in respect of it entire share, for obtaining loan for itself or for the prospective buyers of flats, Offices etc. in the aforesaid Multistoried Building to be constructed on the said property.

17) The Developer shall be entitled to receive and retain all necessary documents 'xerox copies' of original of the owners' title deed to the said property and in such event the Developer undertake to keep the said title deeds, safe, harmless and unobliterated and the owners will be entitled to inspect and to have the same produced for inspection and take extracts there from whenever required.



Ramesh Kumar
Srasud

Kumar Rajiv Srasud

: 11 :

[Signature]

Signed / Put L.T.I.
In my presence

[Signature]
Advocate

Date: 24.12.2019

- 18) It is agreed that in all transfers/conveyance of land and/or built up area, the purchaser/s, transferee shall bear the cost of stamp duty, court fees, and other Registration charges.
- 19) It is mutually agreed between the Developer and the land owner that the top roof will always belong to the first party / land owner.
- 20) In case of any dispute or differences between the parties arising out or relating to this Development Agreement, the same shall be settled by reference of the dispute or difference to the Arbitrators appointed by both the parties and such arbitrations shall be conducted under the provisions of the Arbitration and Reconciliation Act, from time to time.

“SCHEDULE”

All that Raiyati homestead land & everything standing thereon in the Mouza Kuluptanga, within P.S. RIT, Thana No.130, Ward No.17, ANAC, Town Adityapur-Jamshedpur, District Seraikela-Kharsawan, recorded under Plot No 1772,1675 & 1816 of Khata 185, situated at Mouza KULUPTANGA, Thana No. 130, Ward-17(ANAC), P.S. RIT Adityapur, District Seraikella,



: 12 :

which measuring 0-66-30 Ha. within town Jamshedpur, Dist. Seraikela-Kharsawan, which is bounded as follows:-

North : Owner Nij

South : Late Jagpati Das;

East : Plot nos.;

West : Late Jagpati Das;

In Witnesses Whereof the parties have signed this Agreement today at Jamshedpur on the date aforementioned.

Witnesses:-

1) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature: Ramesh Kumar Prasad]

[Handwritten signature: Kumar Rajiv Prasad]

Signature of the First Party

2)

[Handwritten signature]

Signature of the Second Party

Drafted, read over and explained the contents of this Development Agreement to the parties in Hindi who found and admitted the same to be true and correct.

Witnessed the signatures of the Executant/Executants, who Signed out L.T.I., in Presence of Sri. *[Signature]* Advocate District Court, Jamshedpur and also identified by him. *[Handwritten signature]*



[Handwritten signature]
24.8.11
Advocate

)

Establishment Details



1	Establishment ID	JHJAM0014383000						
2	Establishment Name	TECHHO CULTURE BUILDING CENTRE						
3	Under EPFO Office	JAMSHEDPUR						
4	PF Exemption Status	Un-Exempted	[LIN :1786105170]			EDLI Exemption Status	Un-Exempted	
5	Pension Exemption Status	Un-Exempted						
6	Address	45, THAKURBARI ROAD, 2ND FLOOR,, SAKCHI,JAMSHEDPUR, Dist: PURBI SINGHBHUM, State: JHARKHAND, Pin: 831001						
7	PAN	[Not Verified]			Name as per PAN			
8	Coverage Section	0001(3)(b)			Coverage Date	28-FEB-05		
9	Establishment Status	LIVE ESTABLISHMENT			Establishment Type	PROPRIETORY FIRMS		
10	Primary Email Id	brajeshjsr@rediffmail.com			Primary Mobile	7488535255		
11	Phone	Not Available			Fax	Not Available		

Note: To change name of establishment/address, please update your Form 5A and submit a signed copy of the same to the EPFO field office with documentary evidence of your new/correct address.

Active Signatory List

	Name	Designation	Mobile	Email	Effective From	Effective Till	Signature Status	View
1	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	9234752156		14-MAY-2013	14-MAY-2015	APPROVE OR REJECTED BY RO	i
2	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	7488535255		14-MAY-2013	14-MAY-2015	AUTO REJECTED APPROVED CASE	i
3	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	9234752156		27-MAY-2015	27-MAY-2017	ACTIVE	i
4	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	9234752156		22-JUN-2017	22-JUN-2019	ACTIVE	i

Designed, Developed and Hosted by: Employees' Provident Fund Organisation, India

Last Updated Tue Sep 05, 2017 (PV 1.1.29)

10032

By power of Attorney D 1938


भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

भारत

Rs.20

रु.20



TWENTY RUPEES


INDIA NON JUDICIAL

48
24/12/11


झारखण्ड JHARKHAND

B-207

03AA 169880



Ramesh Kumar Prasad
24/12/11



Kumar Rajiv Prasad
24/12/11



Handwritten signature

Fee chargeable

24/12/11

E 1000 = w

GENERAL POWER OF ATTORNEY

मस्तावेज जोया
Handwritten signature

BE IT KNOWN TO ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE

- 1) RAMESH KUMAR PRASAD
2) KUMAR RAJIV PRASAD
Both Sons of Raghunath Prasad

:: 2 ::

Ramesh Kumar Prasad

Kumar Rajiv Prasad

24/12/11

Both by Faith Hindu, by Occupation Service, by Nationality Indian, Resident of Qtr. No. 21, Road No. 4, Farm Area, Kadma, P.S. Kadma, Town Jamshedpur, District East Singhbhum, State Jharkhand, do hereby nominate, constitute and appoint Mr. V. V. R. RAM PRASAD son of Sri V. Kali Prasad, by Occupation Service, by Faith Hindu, by Nationality Indian, Resident of Vastu Vihar - 26, Baliguma, P.S. M.G.M (Mango), Town Jamshedpur, District East Singhbhum, and State Jharkhand to be our lawful constituted attorney in our names and on our behalf to do all or any of the following acts, deeds and things hereinafter mentioned.

Be it noted that as we are unable to personally attend the affairs of our landed property more fully described in the schedule below.

WHEREAS, the schedule below land has been recorded in the name of Raghunath Prasad (now deceased) son of Gouri Shankar Prasad {the father of the present Executants / Principals} in the khatian in the survey settlement as per the records of the State Government, And as the recorded owner died leaving behind the Executants / Principals (two sons) as his only legal heirs and successors and they were in peaceful physical vacant possession over the same without any interruption from any person or corner, thereby enjoying with all their right, title and interest over the same and they are entitled to empower the attorney as they are the lawful, absolute and bonafide owner of the same.

Now, we do hereby authorize and empower my said attorney to do things and acts in my name and on my behalf as my Constituted Attorney with respect to the schedule below property.

1. To look after, manage, conduct and maintain the said landed property or any part thereof and to protect and defend our legal interest thereto till its disposal.

:: 3 ::

Ramesh Kumar Prasad
Kumar Rajiv Prasad
24/12/11

2. To appear in all courts, Offices and in any other Offices of the Government or Semi Government or any Local Authority thereof relating to the said landed property, to represent us before Office of Anchal Adhikari, L.R.D.C., J.S.E.B., A.N.A.C / AIADA, and any other Registering or Competent Authority.
3. To sign, execute, swear, and deliver any paper application, petition, form, objection, or no objection, agreement, document, affidavit, indemnity, plan and plans, drawings, notice, acknowledgement, Vakalatnamas, all required papers etc. and to submit the same before any such Court or Office.
4. To enter into agreements with the various intending buyer/s on such terms and conditions as our above attorney thinks fit and proper.
5. To take all steps for safeguard of my interest thereto and to file any suit or case and/or to defend any suit or case and to appoint advocate, legal representative and to verify, sign and submit any paper, show - cause, other papers etc. and to place the same before any such office or department on our behalf.
6. To enter in any other documents under conveyance and/or to execute any paper, affidavit or document etc. to and in favour of such buyers and to get such document registered in proper court of law.
7. To contest and/or compound and/or compromise any suit or case with the opposite party in respect of the said land or part thereof on such terms as our attorney may thinks fit & proper.
8. To apply and obtain certified copy of the order, decree or judgment passed by any court or office for record and reference and/or to refer the same for higher arbitration or appeal against order of the lower court or office.

:: 4 ::

Ramesh Kumar Prasad
Kumar Rajeev Prasad
24/12/11

9. To sign and execute the deed of transfer by way of sale or any other documents under conveyance in respect of the said land described in the said schedule hereunder written or part thereof in favour of various intending buyer/s and to present such deed or deeds for registration before the registering authority and admit execution of the same for us and on our behalf to do all necessary acts, deeds, & things for completing the registration thereof and to endorse the registration receipt/s.

10. Generally to do all acts deeds and things for all intents and purposes as stated herein.

We, hereby agree to ratify and confirm all acts, shall lawfully do, execute or perform and/or cause to be done, executed and performed by our said attorney by virtue of these presents.

We, the principal said Ramesh Kumar Prasad & Kumar Rajeev Prasad have executed this General Power of Attorney in favour of Mr. V. V. R. Ram Prasad without taking any consideration money, and we will only receive the consideration money through cheque or cash before selling the schedule below property to any other person or party through our attorney.

SCHEDULE

All that piece and parcel of raiyati land measuring an area 0.66.30 Hectare i.e. - 163.76 Decimals i.e. 1.637 Acres approximately, Situated in Ward No. 17, Thana No. 130, within Mouza Kuluptanga, Adityapur 2, P.S. RIT (Adityapur), under the District Sub Registry Office at Seraikela, District Seraikela Kharsawan, and State Jharkhand, recorded under:

<u>Khata No.</u>	<u>Plot No.</u>	<u>Area</u>
New 185 Old 81	New 1772 Old 588	0.15.00 Hectare

North: Plot No. 1731, South: Plot No. 1773 & 1830 (Part),

East: Plot No. 1768, 1769, & 1830, West: Plot No. 1675.

Ramesh Kumar Prasad

Ramesh Kumar Prasad
:::5::
Kumar Prasad
24/12/11

New 185 Old 81 New 1675 Old 588 0.16.30 Hectare
North: Plot No. 1731, South: Plot No. 1773,
East: Plot No. 1772, West: Plot No. 1674 & 1676.

New 185 Old 81 New 1816 Old 742 0.35.00 Hectare
North: Plot No. 1822, § 1821 South: Plot No. 1815,
East: River, West: Plot No. 1823. § 1814
Total Area measuring 0.66.30 Hectare

The annual rent payable to the landlord i.e. The State of Jharkhand through Circle Officer, Gamharia.

In witness whereof the Executants / Principals has hereunto set and subscribed their hands on this General Power of Attorney on this the 24th day of December, 2011, at Jamshedpur.

Read and found correct:

Ramesh Kumar Prasad

[Signature]

WITNESSES:


1. Manojit Singh
2. Rajiv Kumar

Printed by: *[Signature]*
Jamshedpur Court.

AVIJIT MANDAL
Enrollment No.-14/2010
(Adv. Drafted by: Court)



V.V.R. Singh Prasad



Certificate:

It is certified that the finger prints of left hand of each persons whose photograph is affixed in the document have been obtained before/by me.

[Signature]
AVIJIT MANDAL



निबंधन विभाग, झारखंड
जमशेदपुर

जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 8

Token Date/Time: 24/12/2011 13:23:32

Document Type	Power of Attorney	Presenter	Ramesh Kumar Prasad	Date of Entry	24/12/2011
Presenter Name & Address	Q.No.21, Rd.No.4, Farm Area, Kadma,Ps.Kadma,Jsr	DOE		Total Pages	14
Stampable Doc. Value	0	Stamp Value	20	Book	IV
Document Value	0	Serial No.	0	CNO/PNO	
Special Type					
Remarks / Other Details					

Property Details:

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
--------	--------	---------	-------	---------	---------	-----------	------	----------	------	------------

[Handwritten Signature]

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	Address
1	PRINCIPLE	Ramesh Kumar Prasad	Raghunath Prasad	Service	Other		q.no.21, rd.no.4, farm area, kadma,ps.kadma,jsr
2	PRINCIPLE	Kumar Rajiv Prasad	Raghunath Prasad	Service	Other		Q.No.21, Rd.No.4, Farm Area, Kadma,Ps.Kadma,Jsr
3	ATTORNEY	V.V.R.Ram Prasad	V.Kali Prasad	Service	Other		vastu vihar 26, baliguma, ps.mgm.mango.jsr
4	Identifier	Manprit Singh	Satwant Singh	Service	Other		punjabi line,mango.jsr
5	Witness1	Manprit Singh	Satwant Singh	Service	Other		Punjabi Line,Mango.Jsr
6	Witness2	Rajiv Kumar	Gandhi Mahato	Business	Other		2/4, basera appt. sonari,jsr

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	E	1,000.00
2	SP	210.00
Total		1,210.00

Ramesh Kumar Prasad

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

निबंधन पूर्व सारांश में इंप्ट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

डाटा इंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त स्वीकार किया *रमेश कुमार प्रसाद के अनुसार* ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष

जिसकी

पहचान

निवासी

मन प्रीत सिंह

पिता *सतवन्त सिंह*

मजदूर

पेशा *मजदूर*

[Handwritten Signature]

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर



निबंधन विभाग, झारखंड
जमशेदपुर

Token No.8 Token Date: 24/12/2011 13:23:32
Serial/Deed No./Year :10032/1938/2011
Deed Type: Power of Attorney

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	Ramesh Kumar Prasad Father/Husband Name:Raghunath Prasad (PRINCIPLE) q.no.21, rd.no.4, farm area, kadma,ps.kadma,jsr		
2	Kumar Rajiv Prasad Father/Husband Name:Raghunath Prasad (PRINCIPLE) Q.No.21, Rd.No.4, Farm Area, Kadma,Ps.Kadma,Jsr		
3	V.V.R.Ram Prasad Father/Husband Name:V.Kali Prasad (ATTORNY) vastu vihar 26, baliguma, ps.mgm.mango.jsr		
4	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Identifier) punjabi line,mango.jsr		
5	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Witness1) Punjabi Line,Mango.Jsr		
6	Rajiv Kumar Father/Husband Name:Gandhi Mahato (Witness2) 2/4, basera appt. sonari,jsr		

Book No. IV
Volume 49
Page 329 To 342
Deed No 10032/1938
Year 2011
Date 24/12/2011 13:44:55

District Sub Registrar

Signature of Operator

Correction Slip Showing Mutation in Respect of Tenancies in Estates Vested in Govt.

Dist. Seraikella-Kharsawan

Subdivision-Seraikella

Anchal-Gamharia

Haika No. T

Sl. No.	Mutation Case No. in Register	Village	Tilana and Thana No.	No. of Tenancy to Which the Mutation Relates	Authority Sanctioning Mutation With Date of Order	Whether Mutation Due to Sale Gift Exchange Partition or Succession	Fill Details of Exchanges Effected by Mutation	Date of Correction of the Haika Register by the A.T.	Remarks
	648/2010-2011	उद्युपडीगा	सरायकेला-130 9A-17	खाता नं०-N-61 0-19	अचल अधिकारी गम्हरिया दिनांक-	बिक्री दलील सं० 1962 दिनांक- 13-4-2010	<p>खाता नं० प्लॉट नं० रकबा वार्षिक लगान</p> <p>N-61 N-1688 22.530 176.00 रु</p> <p>0-19 0-587 31 11</p> <p>0-587 27 11</p> <p>0-587 0.2 11</p> <p>0-1755 82.530</p> <p>0-587 82.530</p> <p>उपरोक्त भूमि पन्जी II पुर्त सं० 29/31 VOL-III</p> <p>के विक्रेता श्री रामनाथ, शोभानाथ पि० राजगोपाल दास द्वारा पावर प्राप्त विक्रेता श्री० श्री० भार० राम प्रसाद जि० श्री० काली प्रसाद नाम धारिज कर केता श्री मै० टेक्नो कम्प्यूटर वील्डिंग सेन्टर प्रा० लि० निदेशक धीरेंद्र कुमार सिंह वित्त श्री इन्द्र देव सिंह सा० वास्तुविहार, वालगुमा नाम के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।</p>		



Forwarded to Sr. S. I. for Information and Necessary Action
 मे० टेक्नो कम्प्यूटर वील्डिंग सेन्टर प्रा० लि० निदेशक धीरेंद्र कुमार सिंह वास्तुविहार, वालगुमा थाना खम० जी० खम JSR
 निदेशक धीरेंद्र कुमार सिंह वित्त श्री इन्द्र देव सिंह सा० वास्तुविहार, वालगुमा थाना खम० जी० खम JSR

(Signature)
 Anchal Adhikari
 Gamharia

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

लगान रसीद



Sch XIV F, No. 180V

जिला का नाम सुरापकेला
 अनुमण्डल का नाम 0
 अंचल का नाम ग.र.हरिया
 मौजा कुलुपटागा
 थाना वी थाना नम्बर 130

रसीद क्रमांक JH 13 A 042183
 रैयत का नाम देवनेकिलपा देवनेकिल
 पिता का नाम श्रीराम प्रसाद
 जमाबन्दी नम्बर III/55
श्रीराम कुमारी सिंह

खता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
<u>N-61/0-19</u>	<u>00.A</u>	<u>0.82.50</u>

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	बकाया			2015-16 विगत वर्ष	2016-17
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष		
लगान	<u>176=00</u>				<u>176=00</u>	<u>176=00</u>
सेस	<u>44=00</u>				<u>44=00</u>	<u>44=00</u>
*ब्याज	<u>88=00</u>				<u>88=00</u>	<u>88=00</u>
विविध	<u>88=00</u>				<u>88=00</u>	<u>88=00</u>
योग	<u>35=20</u>				<u>35=20</u>	<u>35=20</u>

अदायगी	भुगतान का विवरण				हाल 2016-17	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष		
लगान						
सेस						
*ब्याज						
विविध						
योग				<u>431=20</u>	<u>431=20</u>	<u>862=40</u>

- कुल योग शब्दों में आठ सौ बसठ केवल रुपये
- नाम अदाकर्ता श्री
- कुल बकाया 0

21/7/16
(हल्का कमचारी)

हस्ताक्षर एवं दिनांक

* खास महाल का बकाया आलागुजारी पर (शिवराय जैसे बकायों जिन पर कि.सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

N.V.R. Sundar
13/4/10



For Technoculture Building Centre Pvt Ltd
Authorized Signatory



ANTU SUNDI
DEED WRITER
LICENCE No.30/1997
SERAIKELLA-KHARSAWAN

For Technoculture Building Centre Pvt Ltd

Antu Sundi 13/4/10
Authorized Signatory

Certified that the parties whose photographs are affixed herewith is attested by me and the finger prints of all the parties have taken by me.

Typed by

AS
13/4

Antu Sundi
ANTU SUNDI 13/4/10
DEED WRITER
LICENCE No.30/1997 / Deed Writer
SERAIKELLA-KHARSAWAN
Serai Kella.



निबंधन विभाग, झारखंड
सरायकेला
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 12

Token Date/Time: 13/04/2010 15:46:17

Document Type	Sale Deed	Presenter	V.V.R. Ram Prasad	Date of Entry	13/04/2010
Presenter Name & Address	B/1/8, Jaiprabhu Complex, P.S. Kadma, Jsr	DOE		Total Pages	24
Stampable Doc. Value	4005000	Stamp Value	160200	Book	1
Document Value	4005000	Serial No.	0	CNO/PNO	

Remarks / Other Details
Property Details:

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	O-587			OR_Don	22.5 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1688			OR_Don	0 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	O-587			OR_Don	31 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1753			OR_Don	0 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	O-587			OR_Don	27 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1754			OR_Don	0 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	O-587			OR_Tanr	2 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1755			OR_Tanr	0 Decimal	

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	Address
1	VENDOR	V.V.R. Ram Prasad	V. Kali Prasad	Bus.	Other		B/1/8, Jaiprabhu Complex, P.S. Kadma, Jsr
2	VENDEE	M/S T.B.C.Pvt.Ltd Rep By Dharendra Kumar Singh	Indradeo Singh	Ser.	Other		Vastu Vihar, Baliguma, P.S. M.G.M Town Jsr
3	Identifier	Manprit Singh	Satwant Singh	Ser.	Other		Mango, Jsr
4	Witness1	Manprit Singh	Satwant Singh	Ser.	Other		Mango, Jsr
5	Witness2	Uma Shankar Pandey	Ramayan Pandey	Ser.	Other		Vastu Vihar, Baliguma, Jsr

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	LL	2.50
2	P	0.94
3	A1	40,050.00
4	SP	360.00
Total		40,413.44

V.V.R. Ram Prasad
13/04/10

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इंपट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

डाटा इंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी पहचान पिता ने की।
निवासी पेशा

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर



निबंधन विभाग, झारखंड
सरायकेला

Token No.12 Token Date: 13/04/2010 15:46:17
Serial/Deed No./Year :1969/1962/2010
Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	V.V.R. Ram Prasad Father/Husband Name:V. Kali Prasad (VENDOR) B/1/8, Jaiprabhu Complex, P.S. Kadma, Jsr		
2	M/S T.B.C.Pvt.Ltd Rep By Dhirendra Kumar Singh Father/Husband Name:Indradeo Singh (VENDEE) Vastu Vihar,Baliguma, P.S. M.G.M Town Jsr		
3	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Identifier) Mango, Jsr		
4	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Witness1) Mango, Jsr		
5	Uma Shankar Pandey Father/Husband Name:Ramayan Pandey (Witness2) Vastu Vihar, Baliguma, Jsr		

Book No. I
Volume 69
Page 359 To 382
Deed No 1969/1962
Year 2010
Date 13/04/2010 18:49:58

District Sub Registrar

Signature of Operator

Correction Slip Showing Mutation in Respect of Tenancies in Estates Vested in Govt.

Dist. Secunikelah-Kharsawan

Subdivision-Seraikeella

Anchal-Gamaria

Halka No. T

No. of Mutation Entries Registered	Village	Thana and Thana No.	No. of Tenancy to Which the Mutation Relates	Authority Sentencing Mutation With Date of Order	Whether Mutation Due to Sale Gift Exchange Partition or Succession	Full Details of Exchanges Enacted by Mutation	Date of Correction of the Halka Register by the No.	Remarks
2	कुमुपयंगा	सरायकेला -130 पार्ट-17	खाता नं०- <u>N-61</u> <u>0-19</u>	अचल अधिकारी गम्हरिया दिनांक-	बिक्री दलील सं० 1962 दिनांक- 13-4-2010	<p>खता नं० फौद नं० रकबा बार्सिक लगान <u>N-61 N-1688 22.55</u> 176.00 रु <u>0-19 0-587 31.11</u> <u>0-587 27.11</u> <u>N-1754</u> <u>0-587 0.21</u> <u>N-1755 82.55</u> उपरोक्त भूमि पत्ती II पृष्ठ सं० 29/31 Vol-III के विक्रेता श्री रामनाथ, श्री भागनाथ किं सहाजपती द्वारा प्राप्त भूमि श्री. श्री. आर. राज प्रसाद किं श्री. काली प्रसाद नाम याजित कर क्रेता श्री. डेवनो कस्कर वीरवीर सेनर प्रां.मि लिखित दस्तावेज सिद्ध विनाभी इन्द्र देव सिद्ध साठ वास्तुबिहार, गलियुगा नाम के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है। धना रस.जी.रस. 158</p>	9	10

648/2010-2011

कुमुपयंगा

सरायकेला -130
पार्ट-17

खाता नं०-N-61
0-19

अचल अधिकारी गम्हरिया
दिनांक-

बिक्री दलील सं० 1962
दिनांक- 13-4-2010



For information and Necessary Action
 श्री. डेवनो कस्कर वीरवीर सेनर प्रां.मि
 गलियुगा

For information and Necessary Action
 वास्तुबिहार, गलियुगा धना रस.जी.रस. 158
 गलियुगा

आंचल अधिकारी
 Gamaria

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

लगान रसीद



Sch XIV F, No. 180V

जिला का नाम सुरापकेला
 अनुमण्डल का नाम ...
 अंचल का नाम गण्डारिया
 मौजा कुलुपटागा
 थाना वी थाना नम्बर 130

रसीद क्रमांक JH 13 A 042183
 रैयत का नाम देवनेकिलपा देवनेकिल
 पिता का नाम ...
 जमाबन्दी नम्बर III/55

खता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
<u>N-61/0-19</u>	<u>00.A</u>	<u>0.82.50</u>

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	बकाया			2015-16 विगत वर्ष	2016-17
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष		
लगान	<u>176=00</u>				<u>176=00</u>	<u>176=00</u>
सेस	<u>44=00</u>				<u>44=00</u>	<u>44=00</u>
*ब्याज	<u>88=00</u>				<u>88=00</u>	<u>88=00</u>
विविध	<u>88=00</u>				<u>88=00</u>	<u>88=00</u>
योग	<u>35=20</u>				<u>35=20</u>	<u>35=20</u>

अदायगी	भुगतान का विवरण				हाल 2016-17	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष		
लगान						
सेस						
*ब्याज						
विविध						
योग				<u>431=20</u>	<u>431=20</u>	<u>862=40</u>

- कुल योग शब्दों में आठ सौ बसठ केवल रुपये
- नाम अदाकर्ता ...
- कुल बकाया ...

(हल्का कर्मचारी)
 21/7/16

हस्ताक्षर एवं दिनांक

* खास महाल का बकाया आलागुजारी पर (शिवराय जैसे बकायों जिन पर कि.सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

1969 Rupees 40,05,000 (Handwritten) 160,200 (Handwritten) 1062



14
13/4
T=12
13-04-10



जिच किया
13/4/10
SUNDI
WRITER
No. 30/1997
KHARSAWAN

0200 744203



46x1 22
ATT
V.V.R. Ram Prasad
13/04/10

Sale Deed

**Govt. Valued at Rs. 40,05,000 /-
(Forty Lac Five Thousand Only.)**

Handwritten signatures and dates: 13/4/10

This Deed of Sale made on this the 13th day of April 2010 at Seraikella .
Between :-
1) Ram Nath & 2) Shobha Nath both sons of Late Jagpati Das , both by Faith - Hindu , by Nationality - Indian, by Occupation - Service , resident of Baghbera Colony , Pradhan Tola , P.O. & P.S.- Baghbera , Town - Jamshedpur , Distt. - East Singhbhum , State - Jharkhand , through their duly constituted attorney to **Sri. V.V.R. Ram Prasad** S/O Sri. V. Kali Prasad , by Faith -Hindu , by Occupation - Business , resident of B/1/8, Jaiprabhu Complex, Kadma, P.S - Kadma , Town - Jamshedpur , Distt. - East Singhbhum , State -Jharkhand , under Registered G.P.A No. IV / 150 ,dated 06-02-2010 . Registered at D.S.R.O. Jamshedpur , here-in-after Called the Seller of the **ONE PART.**




02DD 744204

- 2 -

N.V.R. Indira Singh
13/04/10

AND

M/S TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PVT. LTD. Office at Ashiana Trade Centre , 5th Floor , Room No - 518 , 519 , Adityapur - 1 , Represented by its Project Manager Sri. Dharendra Kumar Singh S/O Sri. Indradeo Singh , by Faith - Hindu , by Nationality - Indian , by Occupation - Service , resident of Vastu Vihar , Baliguma , P.O & P.S - M.G.M , Town - Jamshedpur , Distt. - East Singhbhum , State - Jharkhand , here-in-after called the Purchaser of the **OTHER PART** .



02DD 744205

N.V.R. Das
12/11/13

- 3 -

Whereas , the Schedule land situated at Mouza - Kuluptanga , A.N.A.C. Ward No. 17 , P.S. – Adityapur , Thana No – 130 , in Old Khata No. 19 , Old Plot No. 587 , Corresponding to New Khata No. 61 , New Plot Nos. 1688 , 1753 , 1754 , 1755 , stands recorded in the name of the recorded tenant Jagpati Das along with some other lands during the revision survey as well as the current municipal survey of 1983 .

And whereas, aforesaid Jagpati Das died leaving behind his two sons namely 1) Ram Nath 2) Shobha Nath as his legal heirs and successors , have inherited the schedule below property recorded under Old Kata No 19 corresponding to New Khata No 61 jointly , and since then they have been in peaceful physical possession over the same .



02DD 744206

- 4 -

And whereas, the said sellers are need of money for their personal emergent expenses, expressed their desire to sell the schedule below land at and for a total consideration of Rs. 40,05,000 /- (Fourty Lac Five Thousand) Only and the said purchaser on coming to know of the said intention of the said sellers , agreed to purchaser the same at the said consideration price free from all encumbrances , charges , Claim or demand what so ever.

NOW THIS DEED OF SALE WITNESSETH AS FOLLOWS :

That in pursuance of the said agreement and in consideration f the sum of Rs. 40,05,000 /- Only paid by the said purchaser to the said sellers hereby acknowledge as having received ,they,the said sellers do hereby convey transfer and assign unto and to the use of the purchaser ,their heirs,executors,administrators and assigns all that land and property more fully described in the schedule below delivered possession to the purchaser on receipt of the full consideration amount.




02DD 744198

N.V.R. Law firm
13/04/10

- 5 -

And that the said purchaser shall hereafter peaceably hold use and enjoy the same as his own without any hindrance , interruption , claim or demand by or from the sellers or any other person whomsoever from first above noted day , month and the year and the said purchaser shall hereafter mutate the schedule land in his name and obtain rent receipt from Govt. Shirasta and authorities.



02DD 744199

N.V.R. Jagan Prasad
13/10/19

- 6 -

And it is hereby further declared that the said property hereby transferred is free from all encumbrance, charges and demand and that the said sellers have not done any thing hereby the property may be subject to any attachment or lien of any court or person whatsoever.

In witnesses whereof the said executant has hereto at seraikella put his hand this the day , month and year first above written in presence of witness.



3AA 784871

Handwritten signature
M. R. Ram Mohan

- 3 -

Schedule

Mouza – Kuluptanga , A.N.A.C. Aditaypur Ward No. 17, Thana No. 130, P. S. - R.I.T. Adityapur , Distt. Sub-Regisrty Office at Seraikella , Distt.- Seraikella-Kharswan.

<u>Khata No.</u>	<u>Plot No.</u>	<u>Kissim</u>	<u>Area</u>
19(Old)/ 61(New) ✓	587(Old)/ 1688(New)	Don-1	22.5 Dec.
19(Old)/ 61(New) ✓	587(Old)/ 1753(New)	Don-2	31 Dec.
19(Old)/ 61(New) ✓	587(Old)/ 1754(New) ✓	Don-2	27 Dec.
19(Old)/ 61(New)	587(Old)/ 1755(New)	Moti Arh	02 Dec.



झारखण्ड JHARKHAND

622596

- 8 -

All the plots have compact boundary :-

North :- Plot No.1745 .
South :- Plot No.1687 .
East :- Plot Nos.1752,1756 .
West :- Proposed Road .

Total Khata - 1 , Total Plots - 4 , Total Area - 82.5 Decimal (Eighty Two & Half Decimal)

Annual rent Rs. 10.00 payable to the State of Jharkhand through C.O. Gamharia.

U.L.C Case No. 347 /09-10. Dated - 09-02-10 .

Don Area 80.5 Dec. @ 48,100 /- = 38,72,050 /-
Taand Area 2 Dec @ 66,150 /- = 1,32,300 /-

Total = 40,04,350 /-

कार्यालय नगर परिषद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 502

दिनांक : 30.3.18

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr V.V.R.Ram Prasad S/o Mr. V.Kali Prasad
Vastu Vihar-26 Baliguma, P.s- MGM (Mango), Town- Jamshedpur, Jharkhand.

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1675,1771,1772,1816 (पुराना) 588,742 खाता सं० (नया) 185 (पुराना) 81 मौजा : कुलुपटंगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 1572.94 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 196 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 280/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के० पी० दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावाँ के पत्रांक 0 दिनांक 18.6.2015 द्वारा भूमि से संबंधित कानूनी सलाह प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मारडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री कौशलेश कुमार सहायक अभियंता एवं श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor (Residential) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्रावधानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन के Front 3.50 मी० Rear 1.82 मी० Side 1 - 3.14 मी० तथा Side 2- 3.12 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 6.70 मी० Ground Coverage 55.84 %, F.A.R 1.06 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैंक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।

13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
14. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 66 दिनांक 21.01.16 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाएं देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित पत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी देखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्यटन क्षेत्र में बिल्डिंग वॉलेंज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्राणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधाएं निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिवत राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, देखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने रतार से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, आदित्यपुर

ज्ञापक 502

प्रतिलिपि : संजय कुमार अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन सरसमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यालय नगर परिषद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 712

दिनांक : 31.3.16

प्रेषित,

M/s Technoclature Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr V.V.R.Ram Prasad S/o Mr. V.Kali Prasad
Vastu Vihar-26 Baliguma, P.s- MGM (Mango), Town- Jamshedpur, Jharkhand.

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1675,1771,1772,1816 (पुराना) 588,742 खाता सं० (नया) 185 (पुराना) 81 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 1511.03 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 196 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 280/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के० पी० दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावों के पत्रांक 0 दिनांक 18.6.2015 द्वारा भूमि से संबंधित कानूनी सलाह प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबंधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मारडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री कोशलेश कुमार सहायक अभियंता एवं श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor to 3rd Floor (Residential) के भवन प्लान की औपबधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अपार्टमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे हैं, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांतरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन के Front 4.58 मी० Rear 4.58 मी० Side 1 - 4.58 मी० तथा Side 2- 4.58 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 12.00 मी० Ground Coverage 47.81 %, F.A.R 1.91 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुस्था, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता का होगा। चूंकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
(A) Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।

13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
14. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 65 दिनांक 21.01.16 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाएं देनी होंगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी देखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पंच क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के अधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड अपार्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होंगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, देखल, छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्राक्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तडित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, आदित्यपुर

झापांक 712

दिनांक 31.3.16

प्रतिलिपि : संजय कुमार अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यालय नगर परिषद्, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 755

दिनांक : 6.4.16

प्रेषित,

M/s Technoclature Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr V.V.R.Ram Prasad S/o Mr. V.Kali Prasad
Vastu Vihar-26 Baliguma, P.s- MGM (Mango), Town- Jamshedpur, Jharkhand.

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1675,1771,1772,1816 (पुराना) 588,742 खाता सं० (नया) 185 (पुराना) 81 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकबा In this Plan 892.16 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 280/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के० पी० दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावाँ के पत्रांक 0 दिनांक 18.6.2015 द्वारा भूमि से संबंधित कानूनी सलाह प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबन्धन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र माई कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री कौशलेश कुमार सहायक अभियंता एवं श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor to 3rd Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांतरण एवं इसकी सुखा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन Front 3.50 मी० Rear 4.58 मी० Side 1- 3.65 मी० तथा Side 2- 4.58 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 12.00 मी० Ground Coverage 48.59 %, F.A.R 1.94 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैंक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुखा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता का होगा। चूंकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करना होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
(A) Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
11. भूखण्ड के सामने चाहददीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०एस० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉट/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाएँ देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।

16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्वद क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रिक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्राणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड अपार्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्राक्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

ज्ञापक 755

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक प्राधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर
दिनांक 3.3.16

कार्यपालक प्राधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर
दिनांक 3.3.16

प्रेषित,

M/s Technoclature Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh
Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1753 (पुराना) 587 खाता सं० (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा, थाना सं० 130 रकबा In Plan 613.47 M² ए०एम०सी० होल्डींग नं० 130/15-16 पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड ओडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबन्धन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मारडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एवं श्री डेविड ओडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा जांचोपरांत भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अपार्टमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसर्जित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन Front 3.65 मी० Rear 4.87 मी० Side 1- 3.97 मी० तथा Side 2- 3.97 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 14.90 मी० Ground Coverage 42.24 % F.A.R 1.77 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार स्पनिशिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लैथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशामक सुविधाएं देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी देखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्वद क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, उस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड अपार्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधाएँ निर्मित भवन में प्रदान करनी होंगी। निर्माण कार्य के उपरान्त भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तारण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

झापांक २००

दिनांक 22.06.15

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

दिनांक 20.06.15

प्रेषित,

M/s Technoclature Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh
Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।


उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1754 (पुराना) 587 खाता सं०. (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा, थाना सं० 130 रकवा In this Plan 727.89 M² ए०एम०सी० होल्डींग नं० 128/15-16 पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबंधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मारडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एवं श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता नगर परिषद् आदित्यपुर द्वारा जांचोपरान्त भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-


1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद् से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अपार्टमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे। विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे हैं, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन Front 3.65 मी० Rear 5.18 मी० Side 1- 4.58 मी० तथा Side 2- 4.58 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 14.90 मी० Ground Coverage 41.59 %, F.A.R 1.73 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद् को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।


(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद् आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लैथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशामक सुविधाएं देनी होंगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी देखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्वद क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्राणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होंगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, देखल, छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तान्तरण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तान्तरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रैती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।



20.06.15
कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर


20/06/15
सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर


कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर
दिनांक 22.06.15

ज्ञापांक 901

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।


20.06.15
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यालय नगर परिषद्, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 903

दिनांक : 23/06/15

प्रेषित,

M/s Technoclature Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr Dharendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh
Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1753 (पुराना) 587 खाता सं०. (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा, थाना सं० 130 रकवा In this Plan 613.47 M² ए०एम०सी० होल्डींग नं० 129/15-16 पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञप्तिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबंधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मारडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एवं तकनीकी जाँच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एवं श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा जांचोपरान्त भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

6. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रह करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
7. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
8. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
9. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारीत किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
10. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांतरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन Front 3.65 मी० Rear 4.87 मी० Side 1- 3.97 मी० तथा Side 2- 3.97 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 14.90 मी० Ground Coverage 42.24 % F.A.R 1.77 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैंक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यूनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भू० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता का होगा। चूंकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉट/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशामक सुविधाएं देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रारंभिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी देखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्व क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलेंज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्राणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरान्त भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, देखल, छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्राक्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रेयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश रवतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश रवतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड्डित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के, तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायरा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

ज्ञापांक 903

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर
दिनांक 22-06-15

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यालय नगर परिषद्, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 1305

दिनांक : 21.6.18

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh
Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1688 (पुराना) 587 खाता सं० (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 365.98 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जॉच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड ओडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञप्तिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जॉच श्री मंगल चन्द्र माडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जॉच, स्थल जॉच एवं तकनीकी जॉच श्री कौषलेष कुमार सहायक अभियंता एवं श्री डेविड ओडेया कनीय अभियंता नगर परिषद् आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जॉच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद् से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे। विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन Front 3.51 मी० Rear 1.80 मी० Side 1- 1.52 मी० तथा Side 2- 1.52 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 6.10 मी० Ground Coverage 55.44 % F.A.R 1.22 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद् को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेंवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद् आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जॉच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता को जेनरेटर लगाना होगा।

14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशामक सुविधाएँ देनी होंगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्वद क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, उस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के अन्तर्गत पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड अपार्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होंगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्राक्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रेयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संचालनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत करकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

ज्ञापक

दिनांक

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

प्रेषित,

M/s Technoclature Building Centre Pvt.Ltd.
Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh
Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : शर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1688 (पुराना) 587 खाता सं० (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 365.98 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जॉच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जॉच श्री मंगल चन्द्र मारडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जॉच, स्थल जॉच एवं तकनीकी जॉच श्री कौषलेष कुमार सहायक अभियंता एवं श्री डेविड औडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जॉच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अपार्टमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राक्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
7. भवन निर्माण में भवन Front 3.51 मी० Rear 1.80 मी० Side 1- 1.52 मी० तथा Side 2- 1.52 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 6.10 मी० Ground Coverage 55.44 %, F.A.R 1.22 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्राक्धान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैंक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार रूयनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
8. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयड/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता का होगा। चूंकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
11. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जॉच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशामक सुविधाएं देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
 16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगे।
 17. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्वद क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलेंज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, उस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
 18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।
 19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल, नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपकरणों के विवरण सहित) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रायित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
 21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधाएँ निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
 22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
 25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
 26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
 27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
 28. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
 30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कनिय अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियंता
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक प्राधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

25.4.16
दिनांक 21.06.16

कार्यपालक प्राधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

25.4.16

ज्ञापक 1306

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञापिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।



CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

Ministry of Finance - Department of Revenue



FORM ST-2

Shri/Ms. TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED, ROOM NO.-417 & 419, FOURTH FLOOR, ASHIANA TOWER, EXHIBITION ROAD, PATNA, BIHAR-800001 having undertaken to comply with the conditions prescribed in Chapter V of the Finance Act, 1994 read with the Service Tax Rules, 1994, and any orders issued thereunder is hereby certified to have been registered with the Central Excise Department. The Service Tax Code and other details are mentioned hereunder.

Name :	TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED
Address :	ROOM NO.-417 & 419, FOURTH FLOOR, ASHIANA TOWER, EXHIBITION ROAD, PATNA, BIHAR-800001
PAN No :	AABCT9952A
Name as in PAN :	TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED
Nature of registration :	Centralized Registration for more than one premises
Service Tax Code(Registration Number) :	AABCT9952ASD001
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service

ADDRESS OF BUISNESS PREMISES

Name Of Premises/Building :	ASHIANA TOWER	Flat / Door / Block No :	ROOM NO.-417 & 419, FOURTH FLOOR
Road / Street / Lane :	EXHIBITION ROAD	Village / Area / Lane :	PATNA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	PATNA	Post Office :	BANKIPUR
City / District :	PATNA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	800001	Phone Number-1 :	06122320456
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number 2 :		Email Address :	corptaxes@gmail.com
Premises Code :	120117A001		

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided

Name Of Premises/ Building :	MAHULI TOWER	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	K G ROAD, ABOVE BANK OF INDIA	Village / Area / Lane :	ARA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	ARA	Post Office :	NAWADA
City / District :	ARA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	802301	Phone Number-1 :	7488535255
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	ara@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A085		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Name Of Premises/ Building :	MAYA ENCLAVE	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	MIDDLE S B GORAI ROAD	Village / Area /	OLD I M A HOUSE

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
		Lane :	
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	ASANSOL	Post Office :	ASANSOL
City / District :	ASANSOL	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	713301	Phone Number-1 :	08443915984
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	asansol@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A086		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	SAI COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEW AREA, M.G ROAD,FRONT OF H P PETROLPUMP	Village / Area / Lane :	AURANGABAD
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	AURANGABAD	Post Office :	AURANGABAD
City / District :	AURANGABAD	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	824101	Phone Number-1 :	9386256157
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.aurangabad@gmail.com
Premises Code :	120117A087		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	J K PALACE	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR KAPASYA CHOWK	Village / Area / Lane :	BEGUSARAI
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	BEGUSARAI	Post Office :	BEGUSARAI
City / District :	BEGUSARAI	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	851117	Phone Number-1 :	7488048703
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	begusarai@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A088		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	SIDDARTH TRADERS	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	JAI SHANTI NAGAR,SUPRIYA CINEMA ROAD	Village / Area / Lane :	ABOVE UNION BANK,BETTIAH
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	BETTIAH	Post Office :	BETTIAH
City / District :	WEST CHAMPARAN	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	845438	Phone Number-1 :	7488538105

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.bhagalpur@gmail.com
Premises Code :	120117A089		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR	Flat / Door / Block No:	PLOT NO-362/3855
Road / Street / Lane :	OPP. BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION	Village / Area / Lane :	GAUTAM NAGAR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	BHUBANESWAR	Post Office :	KALPANA
City / District :	BHUBANESWAR	State / Union Territory :	ORISSA
PIN :	751014	Phone Number-1 :	9337477770
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	bbsr@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A090		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	MACHHLI MARKET	Flat / Door / Block No:	RAMCHANDARPUR
Road / Street / Lane :	RAMCHANDARPUR (NEAR HDFC BANK)	Village / Area / Lane :	BIHARSHARIF
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	NALANDA	Post Office :	BAZAR BRANCH HEAD OFFICE
City / District :	NALANDA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	803101	Phone Number-1 :	7488535295
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vv_sharif@yahoo.in
Premises Code :	120117A091		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	CITY CENTRE	Flat / Door / Block No:	PLOT NO-HD-15,FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	SECTOR-4	Village / Area / Lane :	BOKARO STEEL CITY
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	BOKARO STEEL CITY	Post Office :	SECTOR-4
City / District :	BOKARO	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	827004	Phone Number-1 :	065422233305
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	bokaro.vastuvihar@gmail.com
Premises Code :	120117A092		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
Name Of Premises/ Building :	TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	VIR KUNWAR SINGH MARKET, NEAR ICICI BANK	Village / Area / Lane :	P P ROAD
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	BUXOR	Post Office :	BUXOR
City / District :	BUXOR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	802101	Phone Number-1 :	7488535203
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	buxor@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A093		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR	Flat / Door / Block No:	B-90
Road / Street / Lane :	LANE NO-9	Village / Area / Lane :	GURUDHAM CHAURAHA
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	VARANASI	Post Office :	LANKA
City / District :	VARANASI	State / Union Territory :	UTTAR PRADESH
PIN :	221005	Phone Number-1 :	7488535295
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	uspandey@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A094		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	GANGA GOPAL COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	MUNICIPAL CHOWK	Village / Area / Lane :	CHAPRA
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	CHAPRA	Post Office :	CHAPRA
City / District :	CHAPRA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	841301	Phone Number-1 :	7488538108
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastuviharchapra@gmail.com
Premises Code :	120117A095		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	HEM TOWER	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR RANDHIR VERMA CHOWK	Village / Area / Lane :	LUBY CIRCULAR ROAD
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	DHANBAD	Post Office :	DHANBAD
City / District :	DHANBAD	State / Union	JHARKHAND

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
		Territory :	
PIN :	826001	Phone Number-1 :	09334920696
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	bokaro.vastuvihar@gmail.com
Premises Code :	120117A096		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR,ABOVE SBI BANK	Flat / Door / Block No:	DONAR ROAD
Road / Street / Lane :	DONAR ROAD,OPPOSITE HOLI CROSS PUBLIC SCHOOL	Village / Area / Lane :	DARBHANGA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	DARBHANGA	Post Office :	LALBAG
City / District :	DARBHANGA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	846004	Phone Number-1 :	7488535255
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.darbhang@gmail.com
Premises Code :	120117A097		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR	Flat / Door / Block No:	B2/20,NON COMPANY, A.K.BITHI
Road / Street / Lane :		Village / Area / Lane :	CITY CENTRE
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	DURGAPUR	Post Office :	DURGAPUR
City / District :	BARDHAMAN	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	713216	Phone Number-1 :	07488538109
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	durgapur@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A098		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	QUAISAR HOUSE	Flat / Door / Block No:	OPPOSITE GAYA CLUB
Road / Street / Lane :		Village / Area / Lane :	GAYA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	GAYA	Post Office :	GAYA
City / District :	GAYA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	823001	Phone Number-1 :	9308568059
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastuvihar.gya@gmail.com
Premises Code :	120117A099		

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided

Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service
---------------------------	---

Name Of Premises/ Building :	R BHAWAN	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR SADAR THANA	Village / Area / Lane :	RAMASHISH CHOWK
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	HAJIPUR	Post Office :	GPO HAJIPUR
City / District :	HAJIPUR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	844101	Phone Number-1 :	9204316137
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.hajipur@gmail.com
Premises Code :	120117A100		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Name Of Premises/ Building :	TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED	Flat / Door / Block No:	MUKUNDGANJ
Road / Street / Lane :	VILL-NAYA KHAP	Village / Area / Lane :	MUFFASIL
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	HAZARIBAG	Post Office :	BAVANBHAY
City / District :	HAZARIBAG	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	825301	Phone Number-1 :	9973330025
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vv.hbag@gmail.com
Premises Code :	120117A101		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Name Of Premises/ Building :	B-20	Flat / Door / Block No:	THIRD FLOOR
Road / Street / Lane :	CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED	Village / Area / Lane :	METROPOLITAN (NEAR SPRING CLUB)
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	KOLKATA	Post Office :	NOWBHANGA
City / District :	KOLKATA	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	700105	Phone Number-1 :	7488538105
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	kolkata@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A102		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Name Of Premises/ Building :	ASHIANA TRADE CENTRE	Flat / Door / Block No:	518,519,5TH FLOOR
-------------------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
Road / Street / Lane :	ADITYAPUR	Village / Area / Lane :	ADITYAPUR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	ADITYAPUR	Post Office :	ADITYAPUR
City / District :	SARAIKELA KHARSWAN	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	831013	Phone Number-1 :	06576531511
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastuvihar.jsr@gmail.com
Premises Code :	120117A103		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	HUDHA TRADE CENTRE	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR SBI BANK	Village / Area / Lane :	BHAGWANPUR CHOWK
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	MUZAFFARPUR	Post Office :	BHAGWANPUR
City / District :	MUZAFFARPUR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	842001	Phone Number-1 :	7488538108
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.muzaffarpur@gmail.com
Premises Code :	120117A104		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	UNIHEIGHTS COMPLEX	Flat / Door / Block No:	2D
Road / Street / Lane :	HAZARIBAGH ROAD	Village / Area / Lane :	KANTATOLI
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	RANCHI	Post Office :	KANTATOLI BENGALI COLONY
City / District :	RANCHI	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	834001	Phone Number-1 :	06512530883
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	corptaxes@gmail.com
Premises Code :	120117A105		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR, BHARAT TOWER	Flat / Door / Block No:	ABOVE HDFC BANK
Road / Street / Lane :	JAIL CHOWK	Village / Area / Lane :	PURNEA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	PURNEA	Post Office :	PURNEA
City / District :	PURNEA	State / Union Territory :	CHANDIGARH
PIN :	854301	Phone Number-1 :	7488535250

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
		:	
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	purnea@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A106		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR, ADITYA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	2ND FLOOR, ABOVE JEEVAN JYOTI HOSPITAL
Road / Street / Lane :	MIRCHAI BARI CHOWK	Village / Area / Lane :	KATIHAR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	KATIHAR	Post Office :	KATIHAR
City / District :	KATIHAR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	854105	Phone Number-1 :	7488535250
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	purnea@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A107		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR, SAHU MARKET	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	GANDHI PATH, BESIDE BSNL OFFICE	Village / Area / Lane :	SAHARSA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	SAHARSA	Post Office :	SAHARSA
City / District :	SAHARSA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	852208	Phone Number-1 :	7488538182
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	saharsa@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A108		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	vastu vihar	Flat / Door / Block No:	suman Market
Road / Street / Lane :	Gourakshini	Village / Area / Lane :	Mohalla Gourakshini
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	sasaram	Post Office :	sasaram sadar
City / District :	ROHTAS	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	821115	Phone Number-1 :	7488424326
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	sasaram@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A109		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
plex service, Works contract service			
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR,OPP. AKASHWANI BHAWAN	Flat / Door / Block No:	0
Road / Street / Lane :	2ND MILE SEVOKE ROAD	Village / Area / Lane :	SILIGUR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	SILIGUR	Post Office :	SEVOKE ROAD
City / District :	DARJEELING	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	734001	Phone Number-1 :	8388851485
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.bhagalpur@gmail.com
Premises Code :	120117A110		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	DAS COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	VIP CHOWK	Village / Area / Lane :	DEOGHAR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	DEOGHAR	Post Office :	DEOGHAR
City / District :	DEOGHAR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	814112	Phone Number-1 :	7488538110
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	deoghar@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A111		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	AMARLEKHA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	DEY MARKET
Road / Street / Lane :	DEY MARKET,HOSPITAL ROAD	Village / Area / Lane :	KISHANGANJ
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	KISHANGANJ	Post Office :	KISHANGANJ
City / District :	KISHANGANJ	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	855107	Phone Number-1 :	7488538110
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	kishanganj@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A112		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR OFFICE	Flat / Door / Block No:	ABOVE INDIAN BANK
Road / Street / Lane :	NEAR POST OFFICE STATION ROAD	Village / Area / Lane :	MADHUBANI

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	MADHUBANI	Post Office :	MADHUBANI
City / District :	MADHUBANI	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	847211	Phone Number-1 :	9386256105
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	madhubani@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A113		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	CHAUBEY TOLA	Flat / Door / Block No:	DANKINGANJ
Road / Street / Lane :	DANKINGANJ,NEAR SBI HEAD BRANCH	Village / Area / Lane :	MIRZAPUR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	MIRZAPUR	Post Office :	MIRZAPUR
City / District :	MIRZAPUR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	231001	Phone Number-1 :	9369997221
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	mirzapur@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A114		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	JAI AMBE COMPLEX	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD	Village / Area / Lane :	MOTIHARI
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	MOTIHARI	Post Office :	MOTIHARI
City / District :	EAST CHAMPARAN	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	845401	Phone Number-1 :	7488528332
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	motihari@vastu-vihar.in
Premises Code :	120117A115		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	ASHOKA PALACE	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR DILIP MAHAL,PURAB SARAY	Village / Area / Lane :	MUNGER
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	MUNGER	Post Office :	MUNGER
City / District :	MUNGER	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	811201	Phone Number-1 :	9386256129
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
Fax Number-2 :		Email Address :	munger@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A116		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	SINGH BUILDING	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	ABOVE BANK OF BARODA,JHANDA CHOWK	Village / Area / Lane :	NEAR RAMGARH CANTT
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	RAMGARH	Post Office :	RAMGARH
City / District :	RAMGARH	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	829122	Phone Number-1 :	7488535226
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	ramgarh@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A117		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	SIKARIYA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR ICICI BANK, OPP. TOWN THANA	Village / Area / Lane :	MAIN ROAD,RAXAUL
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	RAXAUL	Post Office :	RAXAUL
City / District :	EAST CHAMPARAN	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	845305	Phone Number-1 :	9386256147
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	raxaul@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A118		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	PATNAIK COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR KHANA KHAZANA UDIT	Village / Area / Lane :	ROURKELA,NAGAR,
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	ROURKELA	Post Office :	UDIT NAGAR
City / District :	SUNDERGARH	State / Union Territory :	ORISSA
PIN :	769012	Phone Number-1 :	9338377774
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	raurkela@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A119		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
Name Of Premises/ Building :	RUBI MANSION	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR B. R. B. COLLEGE	Village / Area / Lane :	MOHANPUR ROAD
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	SAMASTIPUR	Post Office :	SAMASTIPUR
City / District :	SAMASTIPUR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	848101	Phone Number-1 :	9386256139
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	samastipur@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A120		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	MAHARAJA HOTEL	Flat / Door / Block No:	BABUNIA MORE
Road / Street / Lane :	RAJENDRA PATH,	Village / Area / Lane :	RAJENDRA PATH,
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	SIWAN	Post Office :	SIWAN
City / District :	SIWAN	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	841226	Phone Number-1 :	7488538145
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	siwan@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A121		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	KAMLA MARKET,STATION ROAD	Village / Area / Lane :	SUPAUL
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	SUPAUL	Post Office :	SUPAUL
City / District :	SUPAUL	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	852131	Phone Number-1 :	9386256143
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	supaul@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A122		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		
Name Of Premises/ Building :	GRAND CHANDRA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	ROOM NO-B/2,THIRD FLOOR
Road / Street / Lane :	FRAZER ROAD	Village / Area / Lane :	FRAZER ROAD
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	PATNA	Post Office :	JAMAL ROAD
City / District :	PATNA	State / Union Territory :	BIHAR

Address of all the premises from where taxable services are provided or intended to be provided			
		Territory :	
PIN :	800001	Phone Number-1 :	06126450735
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vv.jsr@inbox.com
Premises Code :	120117A123		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Name Of Premises/ Building :	SAHARA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR VANDANA HOTEL, PALI ROAD	Village / Area / Lane :	DEHRI ON SON
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	DEHRI ON SON	Post Office :	DEHR
City / District :	ROHTAS	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	821305	Phone Number-1 :	9546248290
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	dehriionsone@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A124		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Name Of Premises/ Building :	GANPATI COMPLEX	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	PATAL BABU ROAD	Village / Area / Lane :	BHAGALPUR
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	BHAGALPUR	Post Office :	BHAGALPUR
City / District :	BHAGALPUR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	812001	Phone Number-1 :	7488538105
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.bhagalpur@gmail.com
Premises Code :	120117A125		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

Address of the premises or office paying service tax under centralised billing or centralised accounting under sub-rule (2) and (3A) of rule 4 of the Service Tax Rules, 1994

Name Of Premises/ Building :	ASHIANA TOWER	Flat / Door / Block No :	ROOM NO-417 & 419,FOURTH FLOOR
Road / Street / Lane :	EXHIBITION ROAD	Village / Area / Lane :	PATNA
Block / Taluk / Sub-Division / Town :	PATNA	Post Office :	BANKIPUR
City / District :	PATNA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	800001	Phone Number-1 :	06122320456
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	

Address of the premises or office paying service tax under centralised billing or centralised accounting under sub-rule (2) and (3A) of rule 4 of the Service Tax Rules,1994

Fax Number 2 :		Email Address :	corptaxes@gmail.com
Premises Code :	120117A126		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service		

This Certificate is issued incorporating the changes intimated by the applicant and the previous certificate of registration bearing Registration NumberAABCT9952ASD001 Issued on 09/03/2011 stand cancelled.

SI No	Types of Services	Accounting Codes		
		Tax Collection	Other Receipts (Interest)	Penalties
1	Rent-a-cab scheme operator Service	00440048	00440049	00441307
2	Manpower recruitment/supply agency service	00440060	00440061	00441311
3	Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures	00440290	00440291	00441399
4	Transport of goods by road/goods transport agency service	00440262	00440263	00441392
5	Construction of residential complex service	00440334	00440335	00441438
6	Works contract service	00440410	00440411	00441457

CESSES

1	EDUCATION CESS	00440298	00440299	00441486
2	SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CESS	00440426	00440427	00441487

Note :

1. In case the registrant starts providing any other taxable service (other than those mentioned above), he shall intimate the department.
2. In case the registrant starts billing from other premises (other than those mentioned above), he shall intimate the department.
3. These intimations and any other information which registrant wishes to bring to the notice of the department can be submitted on-line by the registrant after logging on to web-site.
4. This registration certificate is not transferable.
5. List of Accounting Codes is Enclosed. These may invariably be furnished in the challan at the time of making payment of service tax.

Date of Issue of Original ST-2 : 09/03/2011
Date of Last Amendment of ST-2 : 08/10/2013

Name and Signature of Central Excise Officer
With Official Seal

CC (by e-mail) To -
(1) The Pay And Accounts Officer (PATNA)
(2) The Superintendent of Central Excise (SERVICE TAX BANKIPUR-II)